



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224901
CG-DL-E-03022021-224901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

का.आ. 500(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार बीज की गुणवत्ता, को उक्त सारणी के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किस्मों का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म या प्रकार, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्मों या प्रकार होगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिसूचना के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय की जाएंगी, अर्थात्:—

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	आरएच 150025 (एडीवी, 8082)	छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र।
2.	चावल	जेकेआरएच 2354 (आईईटी 26468)	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
3.	चावल	जेकेआरएच 2154	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार

689 GI/2021

(1)

(S.K. Singh)
Registrar

Banda University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)

K.M.
Director Research
B-141, Banda-21000

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
98.	सोयाबीन	आरएससी 10-46	पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा।) मध्य क्षेत्र (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र)।
99.	सोयाबीन	आरएससी 10-52	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र।
100.	सोयाबीन	एमस 2014-1 (पीडीकेवी पुरवा)	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा।
101.	सोयाबीन	एएमएस-एमबी-5-18 (सुवर्ण सोया)	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का बुंदेलखंड क्षेत्र।
102.	सोयाबीन	डीएसबी 34	कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से।
103.	मूंगफली	के 1719 (कादिरी चित्रावती)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु।
104.	मूंगफली	डीएच 257	कर्नाटक और महाराष्ट्र।
105.	मूंगफली	के 1812 (कादिरी लेपाक्षी)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक।
106.	मूंगफली	जे 87 (गुजरात मूंगफली 36)	पंजाब और उत्तर प्रदेश।
107.	मूंगफली	गिरनार 4 (आईसीजीवी 15083)	तेलंगाना।
108.	मूंगफली	गिरनार 5 (आईसीजीवी 15090)	तेलंगाना।
109.	सरसों	पूसा सरसों 32 (एलईएस 54)	राजस्थान (उत्तरी और पश्चिमी भाग), पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के मैदान और हिमाचल प्रदेश।
110.	कुसुम	आईजीकेवी कुसुम (आरएसएस 2016-03)	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।
111.	अलसी	एलएमएस - 2015-31 (ब्यूएट एएलएसआई 4)	राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक।
112.	अलसी	एलसीके 1611 (अपर्णा)	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा।

Serial Number	Kind	Variety	Recommended State for sale
(1)	(2)	(3)	(4)
			rust prone areas on banks of river Krishna like Southern Maharashtra, entire area of Belagavi, Dharwad, Haveri Bidar and Bagalkot districts.
98.	Soybean	RSC 10-46	Eastern Zone (West Bengal, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa.) Central Zone (Madhya Pradesh, Bundelkhand region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Marathwada and Vidarbha region of Maharashtra).
99.	Soybean	RSC 10-52	Madhya Pradesh, Bundelkhand region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Marathwada and Vidarbha region of Maharashtra.
100.	Soybean	AMS 2014-1 (PDKV Purva)	West Bengal, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa.
101.	Soybean	AMS-MB-5-18 (Suvam Soya)	Madhya Pradesh, Bundelkhand region of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra.
102.	Soybean	DSb 34	Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Southern parts of Maharashtra.
103.	Groundnut	K1719 (Kadiri Chithravathi)	Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu.
104.	Groundnut	DH 257	Karnataka and Maharashtra.
105.	Groundnut	K 1812 (Kadiri Lepakshi)	Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Karnataka.
106.	Groundnut	J 87 (Gujarat Groundnut 36)	Punjab and Uttar Pradesh.
107.	Groundnut	Girnar 4 (ICGV 15083)	Telangana.
108.	Groundnut	Girnar 5 (ICGV 15090)	Telangana.
109.	Mustard	Pusa Mustard 32 (LES 54)	Rajasthan (Northern and Western Parts), Punjab, Haryana, Delhi, Western Uttar Pradesh, Plains of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh.
110.	Safflower	IGKV Kusum (RSS 2016-03)	Chhattisgarh and Madhya Pradesh.
111.	Linseed	LMS - 2015-31 (BUAT Alsi 4)	Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Chhattisgarh and Karnataka.
112.	Linseed	LCK 1611 (Aparna)	Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and Haryana.

A.M.


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012022-232406
CG-DL-E-04012022-232406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]
No. 8]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2022/पौष 13, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2022/PAUSHA 13, 1943

कृषि एवं किसान मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

का. आ. 8 (अ).—केन्द्र सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बीज समिति के साथ परामर्श करने के बाद इस निर्णय पर पहुंची है कि निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) के अंतर्गत संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकारों की उक्त तालिका के कॉलम (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की गुणवत्ता नियमित करना आवश्यक एवं समीचीन है। एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि बीजों की उक्त किस्में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अंतर्गत संगत प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों जैसा भी मामला हो, में कृषि के प्रयोजनार्थ इनकी बिक्री की जाएगी। यह सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात्:—

सारणी


क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चावल	डीआरआर धान 57	झारखंड और छत्तीसगढ़
2.	चावल	डीआरआर धान 58	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार

12 GI/2022

(1)


 (S.K. Singh)
 Registrar

Banda University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)


 Director Research
 BUAT, Banda-21000

197.	लोबिया	पीजीसीपी-6	कर्नाटक
198.	लोबिया	केबीसी-11 (केसी-8)	कर्नाटक
199.	लोबिया	सहयात्री युक्ति (यूएचएस 28)	कर्नाटक
200.	लोबिया	पीडीकेवी रुतुजा (एकेसीपी 8-2-2)	महाराष्ट्र
201.	चारा लोबिया	एमएफसी-09-3	कर्नाटक
202.	भारतीय सरसों	आरसीएच 1	जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान
203.	भारतीय सरसों	पूसा डबल जीरो सरसों 33	जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान
204.	सरसों	टीएम 108-1	महाराष्ट्र
205.	सरसों	पीएचआर 126	पंजाब
206.	सरसों	बिरसा भाभा सरसों 1 (बीबीएम1)	झारखंड
207.	सरसों	ट्रॉम्बे हिम पालम सरसों 1 (टीएचपीएम-1)	हिमाचल प्रदेश
208.	गोभी सरसों	पीजीएसएच 1699	हिमाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और पंजाब
209.	गोभी सरसों	हिम पालम गोभी सरसों 1 (एकेएमएस 8141)	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर
210.	गोभी सरसों	पीजीएसएच 1707	पंजाब
211.	तोरिया	एएयू टीएस 38	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड
212.	अलसी	सबौर तीसी-3 (बीआरएलएस 107-1)	उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड को छोड़कर), बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक
213.	अलसी	एसएचयूएटीएस - अलसी 2 (एसएचए-2)	उत्तर प्रदेश
214.	अलसी	सबौर तीसी-2 (सबौर -101)	बिहार
215.	अलसी	बिरसा तीसी-1 (बीएयू-15-03)	झारखंड
216.	अलसी	बीएयू-2012-1 (प्रियम)	झारखंड
217.	अलसी	बीएयू-06-3 (दिव्या)	झारखंड
218.	तिल	गुजरात तिल 11 (एटी 324)	तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
219.	तिल	जगतिआला तिल 2 (जेसीएम 2454)	तेलंगाना
220.	तिल	एमटी-2013-3 (बीयूएटी तिल-1)	उत्तर प्रदेश
221.	तिल	कलिंग तिल 3-1 (ओएससी)	ओडिशा

A.M.
Director Research
BUAT, Banda- 21000

(S.K. Singh)
Registrar

Banda University of Agriculture & Technology



INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN, DR. RAJENDERA PRASAD ROAD,
NEW DELHI-110001

File No. CS 3(6)/2022-OP (208997)

Date: 13/09/2022

To,

Dr. M. Sujatha,
Director (A),
ICAR – IIOR, Hyderabad,
Rajendranagar, Hyderabad – 500030

Subject : Approval of proceedings of Varietal Identification Committee meeting held on September 1, 2022 during AGM of Safflower and Linseed at College of Agriculture, Nagpur, Maharashtra.

Madam,

With reference to your e mail dated **06th Sept** 2022 on the above mentioned subject, the approval of the competent authority is nearby conveyed regarding proceedings of Varietal Identification Committee meeting which was held on September 1, 2022 .

This issues with the approval of DDG (CS).


Sanjeev Gupta
ADG (O&P)

Enclosed : as above


Director Research
BUAT, Banda- 21000


(S.K. Singh)
Registrar
Banda University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)

ANNUAL GROUP MEETING ON SAFFLOWER AND LINSEED

September 1-2, 2022

VARIETAL IDENTIFICATION COMMITTEE

The Varietal Identification Committee meeting with the following composition was held on September 1, 2022, through Hybrid mode in connection with the organization of Annual Group Meeting of Safflower and Linseed held at College of Agriculture, Dr. PDKV, Nagpur.

1.	Dr. T.R. Sharma, DDG (CS), ICAR, New Delhi	Chairman	Attended (P)
2.	Dr. Sanjay Gupta, ADG (O&P), ICAR, New Delhi	Member	Attended (P)
3.	Dr. D.K. Yadava, ADG (Seed), ICAR, New Delhi	Member	Attended (O)
4.	Dr. Sanjay Kumar, Director, ICAR-IISS, Mau, Uttar Pradesh	Member	Attended (O)
5.	Dr. R. Jagadeeshwar, Director of Research, PJTSAU, Hyderabad	Member	Absent
6.	Dr. Susheelendra Desai, Dean, School of Agricultural Sciences and Technology, Shirpur, Dhule (MS)	Member	Attended (P)
7.	Dr. D.M. Hegde, Former Director, ICAR-IIOR, Hyderabad	Member	Attended (O)
8.	Representative of NSC/AP State Seed Corporation (Mr. A. Britto, Regional Manager, NSC, Secunderabad)	Member	Attended (O)
9.	Dr. K. Manohar, Director, DOD, Hyderabad	Member	Attended (O)
10.	Representative from Private Industry (Mrs. Monali Deshmukh, Maharashtra State Seed Corporation Ltd., Akola, Maharashtra)	Member	Attended (O)
11.	Dr. M. Sujatha, Director (A), ICAR-IIOR, Hyderabad	Member Secretary	Attended (P)

P-Physical; O-Online

In total, four linseed varieties as indicated below were presented to the committee.

S.No.	Name of proposed Variety	Submitted by
1.	LCK-1829	CSAUAT, Kanpur
2.	LMS 2017-1-12	Crop Research Farm, Mauranipur centre (BUAT, Banda)
3.	BRL 121	BAU, Sabour
4.	SHA 5 (SHUATS Alsi-5)	SHUATS, Prayagraj

Dr. A.L. Rathnakumar, PI, AICRP-Linseed, ICAR-IIOR has presented the proposals. Among the four proposals, three proposals were identified and the detailed proceedings of the VIC are as follows:

LINSEED**1. LCK-1829**

The committee examined the proposal of LCK-1829 submitted by CSAUAT, Kanpur centre for rainfed areas of Zone-I comprising Punjab, Himachal Pradesh and Jammu. The candidate variety, LCK-1829 has been tested for four years continuously and although it exhibited 10% higher seed yield over the check varieties, oil yield data was not reported for all the four years including the check varieties and hence, valid conclusion could not be drawn. Moreover, LCK-

A.C.M.
Director Research
BUAT, Banda-21000

(S.K. Singh)
Registrar

Banda University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)

1829 exhibited highly susceptible reaction to wilt under artificial condition and hence, not recommended for identification.

2. LMS-2017-I-12

The committee examined the proposal of LMS-2017-I-12 submitted by Crop Research Farm, Mauranipur centre (BUAT, Banda) for irrigated areas of Zone-I comprising Punjab, Himachal Pradesh and Jammu. The candidate variety exhibited 18% seed yield superiority and more than 50% oil yield superiority over the best check. The candidate variety also exhibited tolerance reaction to bud fly. Although, the entry exhibited susceptibility reaction to wilt, as the disease was not serious in the proposed zone, it has been identified.

3 and 4. BRLS 121 and SHA-5

The committee examined both the proposals of BRLS 121 and SHA-5 submitted by BAU, Sabour and SHUATS, Prayagraj, respectively for irrigated areas of Zone-II (UP-excluding Bundelkhand: Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, and Nagaland). Across the three years of testing, the variety BRLS 121 exhibited 14.4% superiority for seed yield and 4.3% superiority for oil yield over the best check. Whereas the other entry, SHA-5 although recorded at par seed yield with those of the best check, but exhibited 21% higher oil yield over the best check. Both the varieties were found to be tolerant to wilt, and resistant to powdery mildew and Alternaria blight. Hence, both the entries viz., BRLS 121 and SHA-5 were identified.

The meeting ended with vote of thanks to the Chair.

A.M.

Director Research
BUAT, Banda-21000

SOU
(S.K. Singh)

Registrar

University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)

14/9/22

अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, राज्य बीज उप समिति की अध्यक्षता में दिनांक 23 जून, 2021 को आयोजित राज्य बीज उप समिति की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त

अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, राज्य बीज उप समिति की अध्यक्षता में दिनांक 23 जून, 2021 को जूम के माध्यम से राज्य बीज उप समिति के सदस्यों एवं सम्बन्धित ब्रीडर/वैज्ञानिकों के साथ सम्पन्न 33वीं बैठक में उपस्थित राज्य बीज समिति के सदस्य एवं सम्बन्धित अभिजनक को निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

- (I) राज्य बीज विमोचन उप समिति एवं राज्य बीज उप समिति की बैठक प्रत्येक छमाही या जब 5-6 प्रजातियों के प्रस्ताव/प्रपोजल प्राप्त हो जाय, तो आयोजित की जाय।
- (II) समिति की बैठक आयोजित किये जाने से पूर्व, प्रजातियों के प्रस्ताव/प्रपोजल समिति के सदस्यों को तकनीकी अवलोकन हेतु उपलब्ध कराये जाय।

2- दिनांक 03 फरवरी, 2021 को सम्पन्न राज्य बीज विमोचन उप समिति की 58वीं बैठक में 19 फसल प्रजातियों को विमोचन हेतु संस्तुत किया गया था, के साथ ही दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को राज्य बीज विमोचन उप समिति की 57वीं बैठक में संस्तुत धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1) (आई.ई.टी.-25404) के सम्बंधित अभिजनक द्वारा राज्य बीज उप समिति की 32 वीं बैठक में उपस्थित न होने के कारण, इस प्रजाति को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में 33वीं बैठक में यह प्रजाति समिलित की गयी है। विभिन्न फसलों की कुल 20 प्रजातियों के सम्बंधित ब्रीडर/वैज्ञानिकों द्वारा विमोचन हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया।

3- समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से मटर, चना, मसूर, अलसी, तिल, गेहूँ, जौ तथा धान की कुल 17 निम्नलिखित नवीन प्रजातियों के विमोचन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया:-

क्र.सं.	फसल	प्रजाति	प्रस्तावक संस्था	प्रजातियों के गुण
दलहनी फसलों की प्रजातियाँ				
1	मटर	आई.पी.एफ.डी.-16-3	भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान, कानपुर	सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 115-125 दिन, पौधे की ऊंचाई- 60-80 से0मी0, औसत उपज- 16.46 कु0/हे0, पाउडरी मिल्ड्यू एवं रस्ट रोग के प्रति अवरोधी, गोल, मध्यम आकार, स्मूथ एवं सफेद दाने, उत्तर प्रदेश के मटर उत्पादित क्षेत्र लिए।
2	मटर	नरेन्द्र मटर-1 (एन.डी.पी.-2014-4)	एन.डी.यू.ए.टी., कुमारगंज, अयोध्या	सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 115-118 दिन, पौधे की ऊंचाई- 68 से0मी0, औसत उपज- 13.83 कु0/हे0, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति अवरोधी तथा लीफ माइनर, एफिड एवं स्टेम फ्लाई के प्रति मध्यम अवरोधी, एवं रस्ट के प्रति सहिष्णु, मध्यम दाने, उत्तर प्रदेश के मटर उत्पादित क्षेत्र लिए।
3	चना	आई.पी.सी. 2010-134 (शिवा)	भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान, कानपुर	समय से बुआई, सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 124-138 दिन, पौधे की ऊंचाई- 44.30 से0मी0, औसत उपज- 17.06 कु0/हे0, विल्ट के प्रति उच्च अवरोधी तथा डी.आर.आर. एवं कालर रॉट के प्रति


Director Research
BUAT, Banda- 21009


Registrar

Banda University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)

				मध्यम सहिष्णु, उच्च तापक्रम के प्रति मध्यम सहिष्णु, उत्तर प्रदेश पश्चमी एवं बुन्देलखंड क्षेत्र लिए।
4	चना	आई.पी.सी. 2007-28 (अटल)	भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान, कानपुर	पछेती से बुआई, सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 112-138 दिन, पौधे की ऊंचाई- 52 से0मी0, औसत उपज- 16.83 कु0/हे0, विल्ट के प्रति उच्च अवरोधी तथा डी.आर.आर. (डाई स्ट रॉट) के प्रति मध्यम सहिष्णु, उच्च तापक्रम के प्रति मध्यम सहिष्णु, उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र लिए।
5	चना	नरेन्द्र चना-1 (एन.डी.जी.-14-11)	एन.डी.यू. एंड टी., कुमारगंज, अयोध्या	समय से बुआई, परिपक्वता अवधि- 135-140 दिन, पौधे की ऊंचाई- 49 से0मी0, औसत उपज- 13.24 कु0/हे0, विल्ट, डी.आर.आर. एवं अस्थोच्चता ब्लाइट के प्रति अवरोधी, उत्तर प्रदेश लिए।
6	मसूर	के.एल.एस.-1431 (शेखर-7)	सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर	पछेती बुआई, परिपक्वता अवधि-110-115 दिन, पौधे की ऊंचाई- 35-40 से0मी0, औसत उपज- 11.09 कु0/हे0, रस्ट, विल्ट एवं पोड बोअर के प्रति अवरोधी, मध्यम दाने, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए।
7	मसूर	आई.पी.एल.-230	भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान, कानपुर	नार्मल एवं रेनफेड क्षेत्र, परिपक्वता अवधि-111-151 दिन, पौधे की ऊंचाई- 38.87 से0मी0, औसत उपज- 13.20 कु0/हे0, रस्ट के प्रति अवरोधी एवं फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति मध्यम सहिष्णु, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए (बुन्देलखंड क्षेत्र को छोड़कर)।
तिलहनी फसलों की प्रजातियाँ				
8	अलसी	बी.यू.ए.टी. अलसी-3 (एल एम.एस.-2012-42)	बी.यू.ए.एंड टी. विश्वविद्यालय, बाँदा	रेनफेड, परिपक्वता अवधि- 127 दिन, पौधे की ऊंचाई- 70-75 से0मी0, औसत उपज-10.33 कु0/हे0, तेल- 40.34 %, रस्ट के प्रति अवरोधी एवं विल्ट, अल्टरनेरिया के प्रति मध्यम अवरोधी तथा अलसी बड फलाई के प्रति मध्यम अवरोधी, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए।
9	तिल	बी.यू.ए.टी. तिल-1 (एम.टी.-2013-3)	बी.यू.ए.एंड टी. विश्वविद्यालय, बाँदा	रेनफेड, परिपक्वता अवधि- 82 दिन, पौधे की ऊंचाई- 148 से0मी0, औसत उपज- 4.66 कु0/हे0, तेल- 47.50 %, मैक्रोफोमिया स्टैम/रूट रॉट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट एवं बैक्टीरियल लीफ स्पॉट एवं कैप्सूल बोअर के प्रति अवरोधी तथा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट एवं बड फलाई/गाल फलाई के प्रति मध्यम अवरोधी, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए।
धान्य फसलों की प्रजातियाँ				
10	गेहूं	जी.आई.एम.-20-9	शुआट्स, इलाहाबाद	सिंचित, समय से बुवाई, पौधे की ऊंचाई- 95-100

Amr
Director Research
B: AT, Banda- 21000

(S.K. Singh)
Registrar

Samga University of Agriculture & Technology
Banda-21000 (U.P.)

		(शिआट्स-डब्ल्यू-14)		से0मी0, परिपक्वता अवधि 110-115 दिन, औसत उपज- 49.19 कुं0/हे0, ब्राउन रस्ट, लीफ ब्लाइट, लूज स्मट एवं कर्नल बंट के प्रति अवरोधी, लोजिंग एवं सैटरिंग अवरोधी, मुलायम चपाती हेतु, पश्चमी उत्तर प्रदेश के लिए ।
11	गेहूं	एन.डब्ल्यू.-6046	एन.डी.यू. एंड टी., कुमारगंज, अयोध्या	समय से बुआई, रेनफेड, पौधे की ऊंचाई- 97 से0मी0, परिपक्वता अवधि 125-127 दिन, औसत उपज- 21.10 कुं0/हे0, सभी रस्ट रोग के प्रति अवरोधी तथा लोजिंग एवं सैटरिंग के प्रति उच्च अवरोधी, उत्तर प्रदेश के लिए।
12	गेहूं	एच.यू.डब्ल्यू.-711 (मालवीय-711)	बी.एच.यू., वाराणसी	रेनफेड/लिमिटेड सिचाई, पौधे की ऊंचाई- 93 से0मी0, परिपक्वता अवधि 115 दिन, औसत उपज- 21.85 कुं0/हे0, सभी रस्ट रोग एवं लीफ ब्लाइट के प्रति अवरोधी, उच्च जिनक (50.40पी.पी.एम.), उत्तर प्रदेश के लिए ।
13	गेहूं	के.-1616	सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर	रेनफेड, पौधे की ऊंचाई- 106 से0मी0, परिपक्वता अवधि 121 दिन, औसत उपज- 23.96 कुं0/हे0, ब्राउन, पीला एवं काला रस्ट अवरोधी, उत्तर प्रदेश के पश्चमी एवं मध्य क्षेत्र लिए।
14	जौ	के. बी.-1425 (आजाद जौ-33)	सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर	लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं, सिंचित, पौधे की ऊंचाई- 79 से0मी0, परिपक्वता अवधि 120 दिन, औसत उपज- 33.07 कुं0/हे0, पीला एवं भूरा रस्ट के प्रति अवरोधी, उत्तर प्रदेश के लिए।
15	धान	आर.सी.पी.आर.-16- आई.आर.84894- 143-सी.आर.ए.-17-1 (आई.ई.टी.-24692) (स्वर्णा सूखा धान)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना	रेनफेड, पौधे की ऊंचाई- 105-110 से0मी0, परिपक्वता अवधि 110-115 दिन, औसत उपज- 35-40 कुं0/हे0, फाल्स स्मट अवरोधी, लीफ ब्लास्ट एवं बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट सहिष्णु, ब्राउन स्पॉट, शीथ बलाइट, नेक ब्लास्ट, आर.टी.डी. के प्रति मध्यम सहिष्णु एवं स्टेम बोरोर, लीफ फोल्डर अवरोधी, सुखा सहिष्णु तथा लोजिंग एवं ग्रेन सैटरिंग अवरोधी, एच०आर०-78.40%, एम0आर0- 70.90%, मध्यम लम्बा चावल, उत्तर प्रदेश के सूखा क्षेत्र के लिए।
16	धान	एन.डी.जी.आर.-702 (आई.ई.टी.-25882) (जल भवानी)	एन.डी.यू. एंड टी., कुमारगंज, अयोध्या	पौधे की ऊंचाई- 127-140 से0मी0, परिपक्वता अवधि 135-140 दिन, औसत उपज- 35-40 कुं0/हे0, नेक ब्लास्ट एवं स्टेम बोरोर के प्रति मध्यम अवरोधी, एच०आर०-79.80%, एम0आर0-70.50%, उत्तर प्रदेश के जलमग्न क्षेत्र हेतु ।

A.M.

Director Research
B-147, Banda- 21000

(S.K. Singh)
Registrar

Banda University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)

17	धान	सी.एस.आर.-76 (आई.ई.टी.-27070) (सी.एस.आर.-2748-4441-195)	सी.एस.एस.आर. आई, करनाल	सिंचित, पौधे की ऊंचाई- 90 से0मी0, परिपक्वता अवधि 125-130 दिन, औसत उपज- 45.31 कुं0/हे0, लीफ एवं नेक ब्लास्ट एवं बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट के प्रति मध्यम अवरोधी तथा ब्राउन एवं ग्रीन हापर, गाल मिडज एवं केस वार्म के प्रति मध्यम सहिष्णु। एच0आर0-76.70%, एच.आर.0आर0-68.60%, प्रदेश के सिंचित क्षारीय एवं सोडिक क्षेत्र के लिए।
----	-----	---	---------------------------	--

4- सरसो तथा धान की निम्नलिखित दो प्रजातियों के प्रस्तुतीकरण के समय समिति द्वारा सी.एस.ए.यू. एंड टी., कानपुर द्वारा विकसित सरसों प्रजाति सुरेखा (KMR 16-2) एवं एस.वी.पी.यू.एंड टी., मेरठ द्वारा विकसित धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1) के प्रस्ताव/प्रपोजल, डा. अशोक कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए, विमोचन किये जाने की अपेक्षा की गयी:-

क्र.सं.	फसल	प्रजाति	प्रस्तावक संस्था	प्रजातियों के गुण
1	सरसों	सुरेखा (के.एम.आर.-16-2)	सी.एस.ए.यू.ए. एंड टी., कानपुर	सिंचित, परिपक्वता अवधि-125-130 दिन, पौधे की ऊंचाई- 160-175 से0मी0, औसत उपज- 16.69 कुं0/हे0, तेल- 42.60%, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए।
2	धान	नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1) (आई.ई.टी.-25404)	एस.वी.पी.यू.ए. एंड टी., मेरठ	सिंचित, पौधे की ऊंचाई - 100-105 सेमी0, फूल निकलने की अवधि 90-105 दिन, सभी रोग एवं कीटों के प्रति मध्यम अवरोधी, एच0 आर0-76.06 प्रतिशत, एच0आर0आर0-54.33, औसत उपज 45.20 से 62.50 कुं0/हे0, सुगन्धित, लम्बे बेलनाकार एवं महीन चावल, पश्चमी उत्तर प्रदेश के लिए।

5- कृषि निदेशालय के पत्र संख्या- एस.एफ./ 486- टी/SVN-08/रा.बी.उ.स./220-21/2021-22 दिनांक 24.06.2021 द्वारा डा. अशोक कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को उक्त दोनों प्रजातियों के प्रस्ताव/प्रपोजल प्रेषित किये गए। डा. अशोक कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.07.2021(ई-मेल) में अवगत कराया गया कि सरसों प्रजाति सुरेखा (KMR 16-2) की उत्पादकता ट्रायल के समय चेक प्रजाति उर्वशी से 15.48 % अधिक रही है, को विमोचन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है तथा धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 की प्रजाति के प्रस्ताव/प्रपोजल पर अवगत कराया गया कि बासमती धान जी.आई., अंतर्गत संरक्षित है, जिसके दृष्टिगत धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1) (आई.ई.टी.-25404) को केवल उत्तर प्रदेश के पश्चमी क्षेत्र हेतु विमोचन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। तदनुसार, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सरसों प्रजाति सुरेखा (KMR 16-2) एवं धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1) (आई.ई.टी.-25404) पर दिए गये अभिमत के क्रम में समिति द्वारा उक्त प्रजातियों को विमोचन हेतु अनुमोदित किया गया।

6- डा. ए.के. श्रीवास्तव, अभिजनक / प्रभारी (तम्बाकू), सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर द्वारा तम्बाकू प्रजाति ए.आर.आर.-27 (नाथ) का प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नानप्लान

A. K.
Director Research
BUAT, Banda- 21000

(S.K. Singh)
Registrar

Banda University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)

स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की स्कीम (75 % अंशदान आई.सी.ए.आर एवं 25 % अंशदान राज्य सरकार) के अंतर्गत, तम्बाकू प्रजाति ए.आर.आर.-27 (नाथ) विकसित की गयी है, जो कि औषधीय गुणों से युक्त तथा उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति है एवं टी.एम.वी. के प्रति अवरोधी एवं टोबाको एफिड के प्रति सहिष्णु है। तम्बाकू फसल सीड चैन में न होने के कारण आई.सी.ए.आर. द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से चिन्हित कर उक्त तम्बाकू प्रजाति को विमोचन हेतु निम्नवत प्रस्तुत किया गया:-

क्र.सं.	फसल	प्रजाति	प्रस्तावक संस्था	प्रजाति के गुण
1	तम्बाकू	ए.आर.आर.-27 (नाथ)	सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर	सिंचित, पौधे की ऊंचाई- 65-85 से0मी0, परिपक्वता अवधि 70-75, टी.एम.वी. के प्रति अवरोधी एवं टोबाको एफिड के प्रति सहिष्णु। निकोटीन -4 % से 4.55 %, टी.आर.एस.- 0.18 % से 0.42 %, क्लोराइड- 0.73 % से 2.10 %. एच०आर०-76.70%, एच.आर.0आर0-68.60%, प्रदेश के सिंचित क्षारीय एवं सोडिक क्षेत्र के लिए।

7- तम्बाकू की उक्त ए.आर.आर.-27 (नाथ) प्रजाति के सम्बन्ध में उपायुक्त (गुणवता नियंत्रण), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि भारत सरकार द्वारा तम्बाकू की खेती को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है तथापि तम्बाकू प्रजातियों के सम्बन्ध में राज्य चाहें तो अनुमोदन करके भेज सकते हैं। भारत सरकार स्तर से निर्णय लिया जा सकता है।

8- समिति द्वारा तम्बाकू प्रजाति ए.आर.आर.-27 (नाथ) को विमोचन हेतु अनुमोदन किये जाने पर मत स्थिर नहीं किया गया तथा आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली तथा भारत सरकार के स्तर से कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

समिति की बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन एवं
अध्यक्ष, राज्य बीज उप समिति।

D.R.M.
Director Research
BUAT, Banda-21009

S.K. Singh
(S.K. Singh)
Registrar

University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ

पत्रांक: एस.एफ./ 775 टी

/SVN-08/रा.बी.उ.स./2021-22 दिनांक : 22-07-2021

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग -2 के पत्र संख्या - 1486/12-2-2021 दिनांक -22-07-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य बीज उप समिति के मा0 सदस्यगण।
2. निदेशक, आई.आई.पी.आर. कानपुर, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सी.एस.एस.आर. आई, करनाल, हरियाणा।
4. निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना।
5. कुलपति, शुआट्स, नैनी प्रयागराज।
6. कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या।
9. कुलपति, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा।
10. उपायुक्त, बीज, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, एफ विंग, द्वितीय तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
11. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
12. सचिव, केंद्र बीज समिति/कम उपायुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
13. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. अपर मुख्य सचिव (कृषि) 30प्र0, शासन कृषि अनुभाग -2 सचिवालय लखनऊ।
15. गार्ड बुक ।

A.M.
Director Research
BUAT, Banda- 21000

S.K. Singh
22/07/2021
(सुरेन्द्र बहादुर सिंह)

सदस्य सचिव, राज्य बीज उप समिति एवं
अपर कृषि निदेशक(बीज एवं प्रक्षेत्र), 30प्र0।

S.K. Singh
(S.K. Singh)
Registrar

Banda University of Agriculture & Technology
Banda-210001 (U.P.)